


27.8.21 पञ्जावली पेश डुरई वकील प्रार्थी उपजित, वास्ते पञ्जावली मे देखवे विपक्षी सं. 1.9.15 से 18 व 22 की तामिल हेतु निपत दिनांक 28.9.21 को पेश हो



25/10/21

पञ्जावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 केम्प भशवानपुर मे पेश डुरई वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 18, 22, 1.9.15 के विकर कोई कार्यवाही नही वास्ते हेँ व्याखिर मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हे परवार हल्का परवारी द्वारा मौका विपरीत प्राप्त डुरई गिले शा.पठ किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.पठ किया गया। पञ्जावली फैलल शुमार होकर नम्बर से कम हो

डॉ. पूजा चक्रेना

समन्वय अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



प्रशासन गाँवों के संग अधिनियम 2021

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 68/21 प्रा. पत्र

1- श्री शंति लाल शं. मौखलस पारागर निवासी - भगवानपुर तहसील  
--प्रार्थी

बनाम  
1- श्री वाडुलाल शं. सौखलाल लोहीमा निवासी - भगवानपुर तहसील (वकील)  
--विपक्षीगण  
(मुहंझि प्रा. पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... भगवानपुर..... पटवार हल्का..... भगवानपुर..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 4143, 4932/4143..... कुल किता ..... 0.2..... रकबा..... 2.6993..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 14.10.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... भगवानपुर..... पटवार हल्का..... भगवानपुर..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 4143, 4982/4143..... कुल किता ..... 0.2..... रकबा..... 2.6993..... हेक्टेयर..... भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... भगवानपुर..... को ..... 900/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
नियमावली के अन्तर्गत 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर प्रतिलिपि न्यायालय को भेजकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
डॉ. पूजा सक्सेना